

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प03(18)वन/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक :-

अधिसूचना

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(30)वन/98 पार्ट दिनांक 05.07.2010 द्वारा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 6 के अन्तर्गत "राज्य वन्यजीव मण्डल" का गठन किया गया था। जिसके क्रम संख्या 3, 4 व 5 पर क्रमशः राज्य विधानसभा के सदस्य, वन्यजीवों से सम्बद्ध गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा प्रमुख संरक्षण विद, पारिस्थितिकी के विज्ञानी एवं पर्यावरण विद सदस्य वर्गों के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.06.2020 एवं 09.03.2023 से मनोनीत सदस्यों का मनोनयन प्रशासनिक सुधार विभाग की अशा.टीप क्रमांक प6(51)प्र.सु./अनु. 3/2018 दिनांक 17.12.2023 की पालना में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी,वन

विशेषाधिकारी,वन प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5. महानिदेशक, पुलिस विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित सदस्यों को प्रति अपने स्तर से वितरित कराने का कष्ट करे।
8. संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. आर्मी कमाण्डर, साउथ वेस्ट कमाण्ड मार्फत 56 ए.पी.ओ. खातीपुरा, जयपुर।
10. समस्त सदस्यगण।

Signature valid

RajKaj Ref
5198154



Digitally signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.12.18 16:36:28 IST
Reason: Approved